समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला विद्युत कोषांग)

सूचना

विद्युत ठीकेदार को लाइसेन्स प्रदान करने हेतु इच्छुक आवेदकों से दिनांक 20.09.2014 से जिला विद्युत कोषांग, मधुबनी में आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवेदक संलग्न प्रपत्र में आवेदन भर कर जिला विद्युत कोषांग, मधुबनी में दिनांक 11.10.2014 के अपराह्न 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

1. भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. एक पर्यवेक्षक का क्षमता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
3. दो तारकर्मीयों के परमिट का छायाप्रति।
4. पर्यवेक्षक एवं तारकर्मीयों का शपथ–पत्र।
5. शैक्षणिक योगता प्रमाण–पत्र।
6. चरित्र प्रमाण–पत्र।
7. आवासीय प्रमाण–पत्र।
8. अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो तीन प्रतियों में एवं दो स्टाम्प साईज बिना अभिप्रमाणित – फोटो।
9. 250/– (दो सौ पचास) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो जिला पदाधिकारी, मधुबनी के नाम से देय हो।
10. 25/– (पच्चीस) रूपये का डाक टिकट सटा स्वपता लिखा हुआ लिफाफा।

सचिव –सह– सदस्य
विद्युत लाईसेंसिंग बोर्ड,
मधुबनी।

भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अधिनियम 45 के अन्तर्गत विद्युत ठीकेदार अनुज्ञा–पत्र स्वीकार करने की सरकारी शर्त्त 43 के अनुसार

आवेदन–पत्र

1. संस्थान का नाम और पता :– ....
....
2. संस्थान के मालिक या साझेदार का नाम और पता :–..
....
3. संस्थान द्वारा भूत और वर्त्तमान काल में किए गए कार्यों का विवरण :–..........................
....
4. अनुज्ञा–पत्र शुल्क 250 (दो सौ पचास) रूपये कैसे जमा हुआ उसका विवरण :–......
....
5. अगर पहले अनुज्ञा–पत्र के लिए कोई आवेदन रद्द किया गया था तो उसका पूर्ण विवरण :–..
....

कम से कम इस राज्य द्वारा एक विद्युत क्षमता–पत्र प्राप्त पर्यवेक्षक और दो तारकर्मी अनुमति–पत्र प्राप्त व्यक्ति का नाम और संख्या होना अनिवार्य है।

1. विद्युत पर्यवेक्षक का नाम तथा उनका क्षमता प्रमाण–पत्र संख्या :–..............................
....
2. तारकर्मी अनुमति–पत्र प्राप्त व्यक्तियों के नाम :–
   (क) ....
   (ख) ....
3. इन्सुलेसन मेगर की संख्या तथा निर्माणकर्त्ता का पूर्ण ब्यौरा :–....................................
....
4. अर्थ टेस्टर की संख्या तथा निर्माणकर्त्ता का पूर्ण ब्यौरा :–..
....

मैं प्रमाणित करता हुँ कि जहाँ तक मेरा ज्ञान और विश्वास है, ऊपर दिये गये ब्यौरा सही और सच है।

गवाह का हस्ताक्षर
पता :–...

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :– गवाह के स्थान पर केवल राजपत्रित पदाधिकारी का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

1. **विद्युत ठीकेदारों को लाइसेन्स निर्गत करनें हेतु शर्ते :–**

(i) विद्युत ठीकेदार को लाइसेन्स हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन फीस के साथ देना होगा। ठीकेदार दो परमिटधारी तारमिस्त्रीयों तथा एक प्रमाण–पत्रधारी पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगा। उसे संबंधित जिला के सचिव, लाइसेंसिग बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर शपथ–पत्र भरना होगा।

(ii) विद्युत ठीकेदार के आवेदन पत्र पर विचार आवेदन पत्र के प्राप्ति के एक माह के भीतर किया जायेगा और आवेदको को एक लिखित रूप से कारण देते हुए स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की सूचना सचिव द्वारा अध्यक्ष के निर्णय/आदेश के अनुसार दिया जायेगा।

(iii) अस्वीकृत आवेदन पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा और उसकी फीस नहीं लौटायी जायेगी।

(iv) लगातार तीन वर्षों तक नवीकरण नहीं किये गये लाइसेंस बोर्ड के अनुमति से रद्द कर दिये जायंगें।

(v) ठीकेदार अनुज्ञा–पत्र की क्षमता एवं कार्य उनके द्वारा नियोजित पर्यवेक्षक के क्षमता प्रमाण–पत्र की सीमा के अन्तर्गत होगा।

(vi) लाईसेंस की द्वितीय प्रति बनाने के लिए मूल आवेदन (विहित प्रपत्र) में पूर्व के निर्गत लाईसेंस में वर्णित तथ्यों को भर कर शपथ–पत्र एवं एफ0आई0आर0 की प्रति सहित आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन जमा करना होगा। तत्पश्चात् कार्यालय अभिलेख से मिलान कर वैध पाये जाने पर द्वितीय प्रति निर्गत किया जा सकेगा।

(vii) विद्युत ठीकेदार का निर्गत लाईसेंस क्षतिग्रस्त (लाईसेंस की जीर्ण–शीर्ण स्थिति फोटो अस्पष्ट एवं कटा–फटा एवं पानी में भीगने के बाद खराब हो जाने, अपठनीय व अन्य) हो जाने पर लाईसेंस की क्षतिग्रस्त मूल प्रति, शपथ पत्र एवं आवश्यक शुल्क आवेदन के साथ जमा करने पर जाँचोपरान्त लाईसेंस का नया बुक जारी किया जा सकेगा। यदि क्षमता प्रमाण–पत्र मीडियम बोल्टेज उपकरणों का होगा तो वह ठीकेदार हाई बोल्टेज अथवा एक्सट्रा हाई बोल्टेज के कार्यों को हाथ नहीं ले सकेगा।

(viii) ठीकेदार अनुज्ञा–पत्र किसी फर्म अथवा किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर लिया जा सकेगा। व्यक्ति विशेष किसी फर्म या आवेदक के नाम पर अनुज्ञा–पत्र लेते है तो उनहे पासपोर्ट साईज अथवा स्टाम्प साईज के तीन रंगीन फोटो विहित प्रपत्र के

साथ राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर दिया जाना होगा। इसके साथ उनके पहचान हेतु दो संभ्रान्त व्यक्तियों का परिचाय भी देना होगा।

(ix) आवश्यक उपकरणों में एक अर्थ टेस्टर एवं इंसुलेशन मेगर का रखना एवं सचिव, लाईसेंसिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2. प्रत्येक तीन वर्ष के अन्त में लाईसेंस के नवीकरण की प्रकिया की जायेगी। उसके एक माह पूर्व आवेदक आवेदन देगा जिसमें पिछले तीन वर्षो में किए गये कार्यो का ब्यौरा प्रस्तुत होगा। जो ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करेंगें उनके अनुज्ञा–पत्र का नवीकरण नहीं किया जा सकेगा।

3. यदि कोई लाईसेंस प्राप्त ठीकेदार जो स्वंय पर्यवेक्षक नहीं हो एक मात्र अपने नियोजन में कम से कम एक पर्यवेक्षक को नहीं रखे तो उसका लाईसेंस अमान्य हो जायेगा और यदि लाईसेंस के इस प्रकार अमान्य हो जाने के एक महीने के भीतर लाईसेंस धारी पर्यवेक्षक सक्ष्मता प्रमाण पत्र धारी किसी व्यक्ति को नियोजित नहीं करें, तो लाईसेंस स्वतः रद्द हुआ समक्षा जायेगा और लाईसेंस धारी की रद्‌गी के लिए बोर्ड के सचिव के पास लौटा देगा।

4. यदि कोई लाईसेंस प्राप्त ठीकेदार किन्हीं अन्य एजेन्सियों के अधीन नियोजन स्वीकार कर ले तो उसका लाईसेंस अमान्य हो जायेगा और ठीकेदार अपना लाईसेंस बोर्ड के सचिव के पास लौटा देगा।